न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 21A/2025

GCMS NO. 2025/45

बन्शी पुत्र गणपत, जाति अहीर, उम्र 72 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 08, सिहोड़, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

.................वादी

– बनाम –

1. प्रकाश पुत्र जयदयाल
2. प्रहलाद पुत्र जयदयाल
3. शंकरलाल पुत्र गणपत
4. माया देवी पत्नि शंकरलाल

समस्त जाति अहीर, निवासी सिहोड, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगणगण

वाद – घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादी – श्री ख्यालीराम सैनी

–: निर्णय :– दिनांक :– 09.12.2025

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से पेश किया गया है किः–

वाके ग्राम सिहोड़, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 212 के खसरा नं. 1523/314 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नं. 302 रकबा 0.9600 हेक्टर, खसरा नं. 315 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नं. 316 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नं. 317 रकबा 0.7800 हैक्टर, खसरा नं. 389 रकबा 0.9900 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.0500 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर बिना किसी बाधा के सभी की स्वतन्त्र जानकारी में काबिज काश्त है। इसी प्रकार वाके ग्राम सिहोड़, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 31 के खसरा नं. 392 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नं. 393 रकबा 3.9400 हैक्टर, खसरा नं. 395 रकबा 3.2200 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा ... हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर बिना किसी बाधा के सभी की स्वतन्त्र जानकारी में काबिज काश्त है। वादी का बोलता नाम "बंशीधर" भी है, इसलिए विरासतन नामान्तकरण खोलते समय वादी का नाम खाता सं. के खण्ड सं. 1 में दर्ज भूमि खाता सं. 212 के राजस्व रिकार्ड में "बंशीधर पुत्र गणपत व ... पत्र के खण्ड सं. 2 में दर्ज भूमि खाता सं. 31 के राजस्व रिकार्ड में "बंशीधर पुत्र गणपतराम" दर्ज हो गया। इसी प्रकार वादी का नाम "बंशी पुत्र गणपत" के स्थान पर "बंशीधर पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:04:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

पत'' व ''बंशीधर पुत्र गणपतराम'' दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही व दस्तावेजों में ''बंशी पुत्र गणपत'' है। ''बंशी पुत्र गणपत'' तथा ''बंशीधर पुत्र गणपत'' व ''बंशीधर पुत्र पतराम'' एक ही व्यक्ति के नाम हैं। वादी का राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 212 में नाम शीधर पुत्र गणपत'' व खाता सं. 31 में नाम ''बंशीधर पुत्र गणपतराम'' दर्ज है जो गलत है। जबकि वादी के सभी लोक दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, दाता पहचान पत्र आदि में सही नाम ''बंशी पुत्र गणपत'' दर्ज है जो सही दर्ज है। वादी नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी को अपनी भूमि के सुधार हेतु ऋण लेने, रिवर्तन करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं अन्य कानूनी कार्यवाही करने में ो को काफी परेशानी व अपूर्तनीय क्षति कारित हो रही है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं या जा सकता है। इसलिए वादी रिकार्ड दुरूस्त करवाना चाहता है, जिसका वह अधिकारी वादी ने किसान कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो उसे अपना नाम त होने का पता चलने पर पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय को रिकार्ड दुरूस्त करने त निवेदन किया तो पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय ने कहा कि रिकार्ड दुरूस्त वाने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यंहा दावा पेश करना होगा। इसलिए वादी वाद पत्र रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सिहोड़, तहसील खेतड़ी, जिला झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 212 के खसरा नं. 23¢314 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नं. 302 रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नं. 315 रकबा 200 हैक्टर, खसरा नं. 316 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नं. 317 रकबा 0.7800 हैक्टर, सरा नं. 389 रकबा 0.9900 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.0500 हैक्टर भूमि के राजस्व कार्ड में ''बंशीधर पुत्र गणपत'' के स्थान पर ''बंशी पुत्र गणपत'' के नाम से तथा इसी कार वाके ग्राम सिहोड़, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 2076 के खाता सं. 31 के खसरा नं. 392 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नं. 393 रकबा 3. 00 हेक्टर, खसरा नं. 395 रकबा 3.2200 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.7300 हैक्टर मे के राजस्व रिकार्ड में ''बंशीधर पुत्र गणपतराम'' के स्थान पर ''बंशी पुत्र गणपत'' के नाम खातेदारी घोषित की जाकर तदनानुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की ई। प्रतिवादी सं. 05 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू. ./2025/3412 दिनांक 06.11.2025 से बिन्दूवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का सिहोड़ ो मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल माबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 212 एवं 31 ग्राम सिहोड़ तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का सिहोड़ की बिन्दूवार जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र भू.अ./2025/3412 दिनांक 06.11. 2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा जमाबंदी सम्वत 2073–76 के हाल खाता संख्या 212, 31 में दर्ज वादी **बंशी पुत्र गणपतराम** के स्थान पर **बंशीधर पुत्र गणपत** दुरूस्त किये जानी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:04:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर

ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक
वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **सिहोड़** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ाबन्दी सम्वत् 2073–76 के हाल खाता संख्या 212, 31 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **पुत्र** गणपतराम के स्थान पर **बंशीधर पुत्र गणपत** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर तेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष ष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **09–12–2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अ...
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

...कारी पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:04:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं** (राज.)

सीन **अधिकारी** :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

बंशी **– ब ना म –** प्रकाश आदि

बाबत घोषणात्मक नाम दुरूस्ती

दमा नम्बर :– 21A / 2025 GCMS No. – 2025/44

यि दिनांक :– 09 / 12 / 25

वादी की ओर से श्री ख्यालीराम सैनी एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 05 की और से स्वयं सीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09 / 12 / 25 को मेरे समक्ष अन्तिम टारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि : –

"वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **सिहोड़** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि माबन्दी सम्वत् 2073–76 के हाल खाता संख्या 212, 31 में वादी के वर्तमान में दर्ज नाम शी **पुत्र गणपतराम** के स्थान पर **बंशीधर पुत्र गणपत** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर तेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष विष्टियां यथावत रहेगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **09.12.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:04:18 IST
Reason: SelfAttested